अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0–133 / 2012

मु0 बासमति कुँवर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 3313, दिनांक 09.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि धर्मनाथ प्रसाद एवं अन्य 27 ग्रामीण जनता के द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक 07.08.2012 में मु0 बासमति कुँवर ज0वि0प्र0वि अनु0 सं0 157/2007, पंचायत-नगर पंचायत वार्ड 03, मढौरा की दूकान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएं अंकित है :- (1) 25 किलो अनाज के बदले 18 किलो अनाज देना। (2) 2.25 लीटर किरासन तेल के बदले 2 लीटर किरासन तेल देना, जिसका सही मात्रा 1.50 लीटर ही होता है। (3) पूरा वजन मॉगने पर अभद्र व्यवहार करना। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 2865, दिनांक 10.09.12 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया तथा विक्रेता को 14.09.12 को अपराह्न 2.00 बजे सभी कागजातो के साथ एवं शिकायतकर्ता धर्मनाथ प्रसाद को उसी तिथि को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से प्राप्त कागजात को असंतोषजनक पाकर उनके जवाब को अस्वीकृत करते हुये उनकी अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।	

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता धर्मनाथ प्रसाद एवं अन्य के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध लगाए गए आरोप सही नही है। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ इन सभी लोगो के द्वारा दिये गए कूपन एवं इनके द्वारा वितरण पंजी पर सामग्री प्राप्त करने के पश्चात अंकित किये गए हस्ताक्षर/निशान की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का वितरण कूपन के आधार पर किया जाता है। गवई राजनीति एवं व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से परेशान करने की नीयत से विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाए गए है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 3313 दिनांक 09.10.2012 को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, 7 EC सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनियमितता बरती गयी हैं, इसलिए इनकी अनुज्ञप्ति को रदद रखा जाना उचित होगा।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश (3313 दिनांक 09.10.12) एक मुखर आदेश नही(Speaking order) है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहते हुए अस्वीकृत कर देना उचित नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में इसका उल्लेख नही किया गया है कि उनके ज्ञापांक 2886 दिनांक 10.09.12 के आलोक में परिवादी धर्मनार्थ प्रसाद एवं अन्य उपस्थित हुए या नहीं। जब किसी उपभोक्ता के द्वारा विक्रेता के पास अपना कूपन दिया जाता है एवं वितरण पंजी पर अपना हस्ताक्षर/अँगूठा का निशान अंकित किया जाता है तो यह माना जाना चाहिए कि उस उपभोक्ता को निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में

अनुदानित सामग्री की आपूर्ति की गयी है। इसके बाद फिर उसी उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली किसी शिकायत का कोई महत्व नही रह जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारण से उसके द्वारा यह शिकायत की गई है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 05.11.12 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

21/5/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

21/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 356 /न्या0, दिनांक 22/5/15 /

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

22/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

22/5/15